प्रोफार्मा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं० 10504

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद अलीगढ़ (खैर) उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या FS-1/नोसी-16

दिनांक 12.03.2016

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,
डी०पी०एस० वर्ल्ड स्कूल
ग्राम - सुजानपुर निकट गोमत पलवल रोड
जनपद अलीगढ़।

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या शून्य दिनांक 10.03.2016

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 12 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 120/= भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैन ब्रांच जनपद अलीगढ़ में चालान संख्या A133854 दिनांक 11.03.2016 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 12 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक। 12.03.2016
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। शून्य
3. संस्थान का विवरण। डी०पी०एस० वर्ल्ड स्कूल ग्राम सुजानपुर निकट गोमत चौपला रोड
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या।
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1	ABC	6 Kg	12	कार्यशील
\	\	\	\	\
\	\	\	\	\

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरों के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

12.3.16
(नाम एवं हस्ताक्षर)
अग्निशमन अधिकारी
मुहर
मुख्य अग्निशमन अधिक
अलीगढ़

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़।
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय आगरा।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़।

पत्रांकःस--129/सीएफओ/अलीगढ--2017/866 दिनांकःजून 14 ,2017

सेवा में,

प्रबन्धक/स्वामी,
डी0पी0एस0 वर्ल्ड स्कूल,
गौमत चौक पलवल रोड खैर,
जनपद--अलीगढ।

विषय-- **मैसर्स डी0पी0एस0 वर्ल्ड स्कूल, गौमत चौक पलवल रोड खैर, जनपद अलीगढ पर निर्मित शैक्षणिक भवन हेतु पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ-- आवेदक के पत्र यूआईडी नम्बर--2017/31099/एएलएच/अलीगढ/716/सीएफओ दिनांक 10.06.2017.

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में निर्मित भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/प्रस्तुत मानचित्रों एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, खैर अलीगढ श्री दाऊदयाल से कराया गया तो उनकी प्राप्त संस्तुति आख्या दिनांकः10.06.2017 का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है--

भवन की संरचना--

कुल भूखण्ड एरिया--12390 वर्गमीटर।

1-- निर्मित भूतल कवर्ड ऐरिया-- 2000 वर्ग मीटर।

2-- प्रथम तल कवर्ड ऐरिया-- 2000 वर्ग मीटर।

3-- भवन की ऊँचाई--7.00 मीटर।

5-- भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी--प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 बी--1 श्रेणी शैक्षणिक भवन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था

1--पहुँच मार्ग-- निर्मित भवन के सामने 12 मीटर चौडा रोड उपलब्ध है जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ--जा सकते हैं।

2-- प्रवेश द्वार दो जिनकी चौड़ाई क्रमशः4.5--4.5 मीटर उपलब्ध है।

3-- सैटबेक--प्रश्नगत भवन में सैटबेक निम्नवत हैः--

ए-- अग्रभाग--06 मीटर।

बी-- पृष्ठभाग--06 मीटर।

सी-- पार्श्व--प्रथम--06 मीटर।

डी--पार्श्व--द्वितीय--06 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधक मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4--निकास मार्ग--प्रश्नगत भवन में 02 स्टेयर जिसकी चौड़ाई 1.50 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निसुरक्षा व्यवस्था--निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिग कोड 2005 पार्ट--iv के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था स्थापित पायी गईः--

1-- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)ः--प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 2190 के अनुसार उपलब्ध है जो कार्यशील दशा में है।

14.6.17

क्रमशः...02 पर

2– एग्जिट साईनेज– प्रश्नगत भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित है।
3– पी0ए0सिस्टम– प्रश्नगत भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, खैर अलीगढ की संस्तुति आख्या के आधार पर **मैसर्स डी0पी0एस0 वर्ल्ड स्कूल, गौमत चौक पलवल रोड खैर, जनपद अलीगढ पर निर्मित शैक्षणिक भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर** पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाय।
2–भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
3–भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय।
4–भवन में किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
5–प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाये।
6–भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा
7–निर्गत पूर्णता अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रत्येक वर्ष विहित फीस जमा कर नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
8–उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

14.6.17

(विवेक कुमार शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अलीगढ

प्रतिलिपि– उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र लिंक–आगरा/अलीगढ परिक्षेत्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
2– जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– अग्निशमन द्वितीय अधिकारी खैर, अलीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुं।